राज्यों में कोयले के भंडार

†*124. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :**

श्री कपिल सिब्बल :

क्या **कोयला और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कोयले का कितना भंडार है;

(ख) प्रत्येक राज्य में वार्षिक रूप में औसतन कितना खनन होता है;

(ग) क्या वहां और कोयला भंडार उपलब्ध होने की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला और खान मंत्री (सुश्री उमा भारती) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) देश के कोयला भंडार का आकलन प्रत्येक वर्ष भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) द्वारा किया जाता है। जी.एस.आई. के अनुसार दिनांक 1-1-2002 की स्थिति के अनुसार भूतल से 1200 मीटर की गहराई तक राज्य-वार कोयला भंडार निम्न प्रकार है :—

(मिलियन टन में)

राज्य	प्रमाणित	निर्दिष्ट	अनुमानित	जोड़
आंध्र प्रदेश	7729.13	5459.26	2447.70	15636.09
अरुणाचल प्रदेश	31.23	40.11	18.89	90.23
असम	279.30	26.83	34.01	340.14
बिहार	0.00	0.00	160.00	160.00
छत्तीसगढ़	7626.72	23639.69	4108.49	35374.90
झारखंड	35234.60	28986.64	6281.57	70502.81
मध्य प्रदेश	6857.20	7865.71	3233.87	17956.78
महाराष्ट्र	4494.92	2049.77	1536.00	8080.69
मेघालय	117.83	40.89	300.71	459.43
नागालैंड	3.43	1.35	15.16	19.94
उड़ीसा	13079.82	29809.10	15123.30	58012.22
उत्तर प्रदेश	765.98	295.82	0.00	1061.80
पश्चिम बंगाल	11099.48	11162.82	4156.95	26419.25
कुल जोड़	**87319.69**	**109377.99**	**37416.65**	**234114.28**

†सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार वार्षिक कोयला उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(मिलियन टन में)

राज्य	2001-02	2000-01	1999-2000
आंध्र प्रदेश	30.81	30.28	29.56
असम	0.64	0.66	0.57
छत्तीसगढ़	53.62	22.80	—
जम्मू और कश्मीर	0.03	0.03	0.03
झारखंड/बिहार	76.80	75.42	76.53
महाराष्ट्र	30.83	28.75	27.70
मध्य प्रदेश	44.16	69.93	87.90
मेघालय	5.02	4.07	4.06
उड़ीसा	47.80	44.80	43.55
उत्तर प्रदेश	16.53	16.86	16.22
पश्चिम बंगाल	21.40	20.10	17.98
अखिल भारत	**327.64**	**313.70**	**304.10**

(ग) तथा (घ) जी, हां। कोयले का और अधिक भंडार होने की संभावना है। जी.एस.आई. तथा सी.एम.पी.डी.आई.एल. द्वारा हाल ही में संयुक्त रूप से किए गए अध्ययन के अनुसार पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में कुछ चुने हुए कोलफील्डों में 140 बिलियन टन (अंतरिम) तक कोयला संसाधनों के होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहां अधिक कोयला संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। वास्तविक सम्भाव्यता को प्रमाणित करने के लिए इन राज्यों में भविष्य में अन्वेषण आरंभ किया जाएगा।

Coal deposits in States

†*124. SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN' : ††
SHRI KAPIL SIBAL :

Will the Minister of COAL AND MINES be pleased to state :

(a) the quantity of coal deposits in each State;

(b) the average annual mining in each State;

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'.

(c) whether there is any possibility of more coal deposits being available; and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF COAL AND MINES (SUSHREE UMA BHARTI) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Country's coal reserve is assessed by Geological Survey of India (GSI) each year. State-wise reserve of coal as on 1-1-2002 as per GSI up to a depth of 1200 metres from surface is as follows :—

(In million tonnes)

State	Proved	Indicated	Inferred	Total
Andhra Pradesh	7729.13	5459.26	2447.70	15636.09
Arunachal Pradesh	31.23	40.11	18.89	90.23
Assam	279.30	26.83	34.01	340.14
Bihar	0.00	0.00	160.00	160.00
Chhattisgarh	7626.72	23639.69	4108.49	35374.90
Jharkhand	35234.60	28986.64	6281.57	70502.81
Madhya Pradesh	6857.20	7865.71	3233.87	17956.78
Maharashtra	4494.92	2049.77	1536.00	8080.69
Meghalaya	117.83	40.89	300.71	459.43
Nagaland	3.43	1.35	15.16	19.94
Orissa	13079.82	29809.10	15123.30	58012.22
Uttar Pradesh	765.98	295.82	0.00	1061.80
West Bangal	11099.48	11162.82	4156.95	26419.25
GRAND TOTAL	87319.69	109377.99	37416.65	234114.28

(b) The State-wise annual coal production in the country during the last three years are as follows :—

(In million tonnes)

States	2001-02	2000-01	1999-2000
Andhra Pradesh	30.81	30.28	29.56
Assam	0.64	0.66	0.57
Chhattisgarh	53.62	22.80	—
Jammu and Kashmir	0.03	0.03	0.03
Jharkhand/Bihar	76.80	75.42	76.53
Maharashtra	30.83	28.75	27.70
Madhya Pradesh	44.16	69.93	87.90
Meghalaya	5.02	4.07	4.06
Orissa	47.80	44.80	43.55
Uttar Pradesh	16.53	16.86	16.22
West Bengal	21.40	20.10	17.98
All India	**327.64**	**313.70**	**304.10**

(c) and (d) Yes, Sir. There is possibility of having more coal resources. According to a recent exercise carried out jointly by GSI & CMPDIL there is a possibility of coal resources to the tune of 140 billion tonnes (tentative) in some selected coalfields in West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, M.P., Maharashtra, Orissa and Andhra Pradesh. Besides, there are other areas where more coal resources may be available. Exploration will be taken up in future in these States to establish the actual potentiality.

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति महोदय, जो विवरण सरकार से प्राप्त हुआ है, उस विवरण को पढ़ने से ऐसा लगता है और यह स्पष्ट होता है कि जो कोयले का भण्डार और कोयले का उत्पादन होता है वह सबसे अधिक झारखण्ड प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में होता है। वहां भंडारण भी होता है और उत्पादन भी होता है, लेकिन उन राज्यों से संबंधित जो तीन कोयला कंपनी हैं बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल, यह तीनों ही कंपनियां घाटे में चल रही हैं, जबकि कोयला उत्पादन हो रहा है और कोयला बिक भी रहा है।

श्री सभापति : आप सीधा क्वैश्चन पूछिए।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सर, मैं क्वैश्चन ही पूछ रहा हूँ।

श्री सभापति : यह क्वैश्चन नहीं है। कौन सी कंपनी काम कर रही है, कौन सी कंपनी काम नहीं कर रही है, किस कंपनी में घाटा है, किस कंपनी में लाभ है, यह क्वैश्चन नहीं है। आपका क्वैश्चन है प्रत्येक राज्य में कोयले का कितना भंडार है ?

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति महोदय, हम यह जानना चाह रहे हैं कि इन राज्यों से संबंधित जो कोयला कंपनियां हैं, उनके घाटे में चलने के क्या कारण हैं ?

सुश्री उमा भारती : सभापति जी, यद्यपि जैसा आपने कहा, वही बात है। इन्होंने मूल प्रश्न में पूछा था कि इस देश में कोयले का कुल भंडारण कितना है और उसका राज्यवार ब्यौरा मांगा था, जो हमने इनको दे दिया। अब इन्होंने यह प्रश्न किया है कि यह कंपनियां घाटे में क्यों चल रही हैं, जो मूल प्रश्न इनका था उसके दायरे के एकदम बाहर का यह प्रश्न है। इन्होंने जो प्रश्न किया है, चूंकि माननीय सदस्य स्वयं भी बिहार से संबंधित हैं, जैसा मुझे लगता है, इसलिए उन्हें स्वयं भी मालूम होगा कि इन कंपनियों के घाटे में चलने का कारण एक ही है कि यह बहुत पुरानी कंपनियां हैं और यहां अंडरग्राउंड माइन्स ही अधिक हैं, जहां गहराई ज्यादा है।

श्री सभापति : जब प्रश्न से इसका संबंध ही नहीं है तो आप उत्तर क्यों दे रही हैं।

सुश्री उमा भारती : अगर आप मुझे संरक्षण दें तो मैं उत्तर नहीं देना चाहूंगी।

श्री सभापति : नहीं, आप उस प्रश्न के संबंध में उत्तर दें, लेकिन आप कंपनियों के विवाद में चली गई, उसमें संरक्षण नहीं। दूसरा सप्लीमेंटरी।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि आपके पास अभी जितने भंडारण हैं, उनमें अधिक से अधिक और अच्छी क्वालिटी का कोयला उत्पादित हो, इसके लिए सरकार ने क्या कार्य-योजना तैयार की है ?

सुश्री उमा भारती : सर, 9वीं पंचवर्षीय योजना में हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उन लक्ष्यों से ज्यादा ही हमारा उत्खनन् हुआ है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हमने जो लक्ष्य बनाए हैं, उनमें भी हमे सफलता प्राप्त होगी। हमारे पास भंडारण तो 100 वर्ष से भी ज्यादा के लिए हैं और जब हम 9वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से ज्यादा उत्खनन् कर सके हैं, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके लिए नई टैक्नोलॉजी, मजदूरों की सुरक्षा के उपाय, इसके साथ ही साथ कोकिंग व नॉन कोकिंग कोयले की आवश्यकता के अनुसार ओपन कास्ट माइनिंग और अंडरग्राउंड मांइनिंग, इन सब को ध्यान में रखकर हमने प्लानिंग बनाई हुई है और उस प्लानिंग में हम सफलता प्राप्त करेंगे और इसका अनुमान इसी से है कि 9वी पंचवर्षीय योजना के लिए हमने जो लक्ष्य बनाए थे, उन

लक्ष्यों से हमने ज्यादा ही हासिल किया तो 10वी पंचवर्षीय योजना में भी हमे सफलता प्राप्त होगी और यह 9वीं पंचवर्षीय योजना से ही इंडिकेट होता है।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : महोदय, मंत्री महोदया ने बताया कि हमारे पास कोयले का काफी भंडार है लेकिन इसके बावजूद आज हमारे देश में काफी मात्रा में कोयला आयात हो रहा है। अगर हमारी क्वालिटी इम्प्रूव होगी तभी हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आज कोयले के इस आयात को रोकने के लिए और हमारे कोयले की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अधिक से अधिक वाशरीज लगाने की सरकार की क्या योजना है ?

सुश्री उमा भारती : सर, सबसे पहले तो मैं आयात के बारे में स्पष्ट कर दूं कि आयात की स्थिति उतनी भयावह नहीं है। खाली स्टील प्लांट लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का कोयला लगता है, जिसका हमारे यहां भंडारण होते हुए भी हमें आयात करना पड़ता है क्योंकि उस कोयले का उत्खनन् हमें बहुत महंगा पड़ता है और अब इस क्षेत्र में ओपन जनरल लाइसेंस होने के बाद जो लोग स्टील प्लांट लगा रहे हैं, वे इसे बाहर से भी खरीद सकते हैं क्योंकि वह इनको सस्ता पड़ेगा। यही कारण है कि एक सीमित क्षेत्र में ही आयात होता है और अभी तक आयात की जो स्थिति रही है और आगे भी रहेगी, उसके अनुसार 2001-2002 के बीच में आयात 7 परसेंट रहा है और 2006 से 2007 के बीच में यह आयात 6 परसेंट यानी कि और कम हो जाएगा। जहां तक वाशरीज की बात है, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, इसमें कुछ प्रस्ताव भी हमारे सामने आए हुए हैं लेकिन चूंकि उसमें अभी हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं उसको अभी यहां स्पष्ट नहीं करना चाहती, लेकिन वाशरीज लगाने के बारे में भी हम एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं जिससे कि अच्छी क्वालिटी के कोयले की मात्रा और बढ़ाई जा सके।

SHRI KAPIL SIBAL : Sir, obviously, we have huge reserves of coal, over two lakh million tonnes; as consumption in the last 3 years has been only 304 million tonnes, we still have huge resources. But we have, as you know, signed the Kyoto Protocol. Now, since the ash content of coal that is mined in India is very high, I am sure the Government has conceived some schemes so that the mining of coal could become eco-friendly, and, ultimately, the consumption could also become eco-friendly. Once the Kyoto Protocol comes into operation, we will have to fulfil the obligations under the Protocol. So, I would like to know whether there is any plan before the Government of India to look into this matter, on a long-term basis.

सुश्री उमा भारती : सर, माननीय सदस्य ने दो बातें कही हैं, एक तो उन्होंने कहा है कि हम पर्यावरण की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें और दूसरी बात उन्होंने कोयले के ऐश

कंटेंट के बारे में कही है। पहले सदस्य के प्रश्न में भी वही बात थी, तो वाशरीज लगाने के बारे में हम विचार कर रहे हैं कि वाशरीज लगाने की स्थिति क्या की जाए क्योंकि लम्बी दूरी तक अगर कोयला जाता है और उसमें अगर ऐश कंटेंट होता है तो निश्चित रूप से उससे पर्यावरण बिगड़ता है। तो क्या जहां पर हम कोयले का उत्खनन् कर रहे हैं, वहीं पर वाशरीज लगें? प्रश्न यह है कि वाशरीज कौन लगाए? क्या जो लोग खरीद रहे हैं, वही लगाएं? स्टील प्लांट वाले या सीमेंट प्लांट वाले, जो भी गवर्नमेंट सैक्टर के लोग खरीदना चाहते हैं, क्या वही वहां पर लगाएं? इस पर हम लोग एक निर्णय पर पहुंच रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि मैं बहुत तीव्र गति से इस निर्णय पर पहुंचना चाहती हूं। पहला प्रश्न जो आपने किया है पर्यावरण के बारे में ध्यान रखने का, इस बारे में, मैं कहना चाहती हूं कि निश्चित रूप से यह बहुत चिंता का विषय रहा है, लेकिन हमने अपने कोल क्षेत्र में, जहां भी उत्खनन् हुआ है, उसमें इन बातों का ध्यान रखा है और मेरी स्वयं की निजी रुचि भी इस विषय में रही है कि पर्यावरण के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी न हो और इसलिए हमने एक टोटल प्लान ही इस प्रकार का बनाया है कि अगर अभी तक भी कहीं इस प्रकार की हानि हो गई हो तो उस हानि की आपूर्ति कैसे की जाए। बल्कि मैं तो यहां तक डिटेल में गई हूं कि जिस प्रकार के पेड़ वहां से काटे गए थे, क्या उसी प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं? मैंने स्वयं जाकर इसका इंस्पेक्शन किया है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो अच्छे प्रकार के पेड़ हैं, जो जंगलों में सालों तक, लंबे समय तक चलते हैं, वे पेड़ तो वहां से निकाल दिए गए लेकिन...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप सारी उपलब्धियां तो एक साथ नहीं गिना सकतीं।

सुश्री उमा भारती : मेरा मतलब यह है कि माननीय सदस्य की जिस प्रकार से पर्यावरण में रुचि है, स्वयं मेरी भी रुचि है और मैंने भी इसी पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि जिस प्रकार से पर्यावरण की हानि हुई है, उसी प्रकार उसकी क्षतिपूर्ति की जाए और अगर कहीं छूट भी गई है तो आगे उसी तरह से उसको पूरा कर दिया जाए।

SHR BACHANI LEKHRAJ : Sir, I want to know whether it is a fact that in Mehsana District of Gujarat, there is a good deposit of coal. This has also have been confirmed by the Geological Survey of India last year. So, I want to know whether the Government would take up mining in that area, as, today, Gujarat gets its requirement of coal from 2000 kilometres away. My second queston is : What is the capacity of washeries, and how much of it is being utilised by the Government.

सुश्री उमा भारती : सभापति महोदय, इन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा है, वह एक विशेष स्थान से संबंधित है और उसका ब्यौरा अगर इस पुलिंदे में होगा भी तो मुझे ढूंढने में समय लगेगा।

श्री सभापति : आप वह ब्यौरा ढूंढकर माननीय सदस्य के पास भेज दीजिए।

सुश्री उमा भारती : सभापति महोदय, मुझे लगता है कि मेहसाना का ब्यौरा इसमें नहीं है, मैं वह माननीय सदस्य को भेज दूंगी। महोदय, GSI ने गुजरात के बारे में जो सर्वेक्षण किया है, उसकी रिपोर्ट सरकार के पास है और हमारा विभाग, गुजरात की सरकार से इस विषय में बात कर रहा है कि उसके उत्खनन् के बारे में क्या निर्णय लिया जाए। बाकी मेहसाना जिले का जो सवाल उन्होंने किया है, जैसाकि आपने निर्देश दिया है, उसका उत्तर मैं उन्हें भेज दूंगी।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो उन्होंने वॉशरीज के बारे में कही है, यह इस सवाल की परिधि से बाहर है और मुझे लगता है कि वॉशरीज के बारे में जितना उत्तर दिया जाना चाहिए, उतना उत्तर मैंने पहले ही माननीय सदस्यों के सवालों के जवाब में दे दिया है।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि झारखंड जो एक नया राज्य बना है, वहां के झरिया जिले में कोयले का बैस्ट स्टॉक है और वहां बरसों से आग लगी हुई है। वहां काफी पापुलेशन भी है। जब हम लोग शासन में थे, हमने बार-बार आपके मंत्रालय को इसके बारे में सूचित किया है। उसमें मिथेन गैस भी है।

श्री सभापति : यह आग उसी समय से चालू है क्या?

श्री लालू प्रसाद : जी। हम उसी समय से बोलते रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने भंडारण की सूची प्रस्तुत की है, उसे तो हमने नहीं देखा है लेकिन झरिया के अंदर आग लगी हुई है और दामोदर नदी की लाखों-करोड़ों रुपए की बालू लेकर ठेकेदार और कंपनियों के लोग बरसों से भोजन कर रहे हैं लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मैं जानना चाहता हूं कि बैस्ट कोल और वहां की पापुलेशन को बचाने के लिए क्या आपके मंत्रालय ने और आपने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर कोई कदम उठाया है? अगर अभी तक आपने कोई कदम नहीं उठाया है तो आगे आपका क्या इरादा है?

सुश्री उमा भारती : सभापति महोदय, आग तो वहां तब से लगी हुई है जब झारखंड, बिहार का एक हिस्सा था। अब अलग हो गया है तो हम आग को बुझाने के क्रम में आ गए हैं। झरिया कोलफील्ड में भारत का सबसे अच्छा कोल रिजर्व है और माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है कि वहां आग लगी हुई है। जितने हिस्से में से हम कोयला निकाल भी रहे हैं, वह भी हम बड़ी कठिनाइयों से निकाल रहे हैं। जैसे ही मुझे इस मंत्रालय का भार मिला था, संयोग से माननीय राष्ट्रपति जी ने भी इस मामले में व्यक्तिगत रुचि दिखाई थी और जब वे सुरक्षा सलाहकार थे, उस समय भी झरिया कोलफील्ड का मामला उनके सामने आया था। उन्होंने जब इस मामले में विशेष निर्देश दिया तो मैं स्वयं झरिया कोलफील्ड को विजिट

करने के लिए गई थी और एक प्लान उसके लिए बनाया गया था जिसमें हमने सोचा था कि एक छोटे से हिस्से में हम ऐक्सपेरिमेंट करके देखें और वहां के लोगों को हम किसी दूसरी जगह भेजें लेकिन उसमें कुछ कठिनाइयां खड़ी हो गईं। अभी दोबारा मैंने वहां के सभी जन प्रतिनिधियों को बुलाया है, वहां के ट्रेड यूनियनों के लोगों को बुलाया हुआ है और हम बहुत जल्दी एक बैठक करने वाले हैं। उनके सुझाव लेकर पूरे झरिया क्षेत्र के बारे में हम क्या करें, इसका कोई समाधान निकालकर हम राष्ट्रपति जी के सामने भी रखेंगे और सभी राजनीतिक दलों के सांसदों के सामने भी रखेंगे। जो कंसलटेटिव कमेटी के सदस्य हैं हम कंसलटेटिव कमेटी के सामने भी रखेंगे और निश्चित रूप से हम झरिया का कोई समाधान निकालने की दिशा में पहुंचना चाहते हैं। लेकिन जो दिक्कत आती है वह है जन सहयोग की। अगर हमें जन सहयोग नहीं मिलेगा तो हम कितना भी परफेक्ट प्लानिंग बना लें क्योंकि पहले भी जो छोटा सा प्लान बनाया गया था उसमें ऐसी दिक्कत आई थी। आगे कठिनाई न खड़ी होने पाए इसलिए सारे जनप्रतिनिधियों को, कंसलटेटिव कमेटी के सांसदों को बुलाकर के उनके सामने विचार करने के बाद में उसका टोटल प्लान बनाने को हम तैयारी कर रहे हैं। जो कंसलटेटिव कमेटी के सदस्यगण हैं उनकी जानकारी में वह बात बहुत जल्दी आ जाएगी।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदया, बहुत ही गंभीर प्रश्न है, कई वर्षों से चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर शीघ्र निर्णय लेगी और आग को किस तरह से बुझाया जाए इसका प्रयत्न करेगी।

सुश्री उमा भारती : आपके निर्देश के अनुसार मैं आपको आश्वासन देती हूं कि मैं इसी सदन में कोई जानकारी दे दूंगी कि हमने क्या निर्णय किया है।

श्री लालू प्रसाद : नहीं महोदय, निर्णय क्या किया है इसका सवाल नहीं है, क्योंकि यह देश की सम्पत्ति का सवाल है और जहां तक माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब लालू जी बिहार में थे तब उस समय से आग लगी हुई थी और यह प्रयास कर रही हैं। You know, coal comes under the purview of the Mines Act. राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। यह प्योर भारत सरकार का विभाग है। आप लोगों ने गला रेता है यह कानून बना करके तथा राज्यों की इकॉनोमी पर बुरा असर पड़ा है। तो आग बुझाने की दिशा में कौन सा कदम आपने उठाया? देश की सम्पत्ति नष्ट हो रही है और आप बाहर से कोल इंपोर्ट कर रही हैं। ललन जी के प्रश्न का आप सही-सही जवाब नहीं दे पाईं। महोदय, यह देश की सम्पत्ति के साथ खिलवाड़ है। ... (**व्यवधान**) ...

श्री सभापति : मैंने भी कह दिया है।

श्री लालू प्रसाद : आपने कह दिया है लेकिन कहां तक उनके ऊपर असर होगा, यह हम लोगों को देखना है। यह बोल नहीं पा रही हैं।

सुश्री उमा भारती : सर, मुझे आपके माध्यम से एक निवेदन करना है लालू जी से, मेरे बड़े भाई की तरह हैं वह। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूं, मैं उनकी बहुत लाड़ली छोटी बहन हूं। लेकिन सर, मैं यह बता दूं कि मुझे उनके इस वाक्य पर आपत्ति है कि मैं उत्तर नहीं दे पाई हूं। मैंने एग्जेक्ट उत्तर दिया है। कोयला निर्यात के बारे में जो पहले सदस्य ने प्रश्न किया था उसका एग्जेक्ट उत्तर दिया है। इसलिए मुझे आपत्ति है कि आप मेरे लिए इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग न करें। आप अपना वाक्य वापिस लीजिए। दूसरी बात यह कहनी है कि निश्चित रूप से कोयला पूरी तरह से केन्द्र की सरकार के पास है। लेकिन जब कोयले के उत्खनन् में चोरी होती है या जब लीज होती है तो वह राज्य सरकार का ही काम होता है। अगर बी.सी.सी.एल. की खदान घाटे में आई है तो उसका एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि चोरी रोकने में राज्य सरकारों से जो हमें सहयोग मिलना चाहिए वह हमें नहीं मिला है। उस समय तो नहीं दिया जब आपके पास वह कोलफील्ड थी।

श्री लालू प्रसाद : वह सी.आई.एस.एफ. करता है।

सुश्री उमा भारती : चोरी रोकने और अवैध उत्खनन् रोकने का जो काम होता है वह राज्य सरकार का होता है, वह केन्द्र सरकार का नहीं होता है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदया, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि लालू जी द्वारा लगाई हुई आग उनकी छोटी बहन ही बुझा सकती है कोई दूसरा नहीं बुझा सकता।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, in response to Shri Lalu Yadav's question, the hon. Minister has stated that they are going to take some specific steps. It is not a question of maintaining law and order or preventing thefts. As per the mines regulations, it is incumbent upon those who are mining coal to fill in the cavities that are created. I am not passing on the responsibility to any individual Minister. Over the years, this practice has not been followed vigorously; as a result, there is not only continuous underground fire destroying the property, but also a serious danger to the main trunk route at any point, either at Raniganj or at Jharia. The whole area may give in at any time. Therefore, may I know from the hon. Minister whether she is going to pay special attention to this aspect so that there would be no such occurrence and there would not be any debate on such an occurrence? In this connection, I would also like to mention—she has referred to the setting up of washeries—that one of the perennial problems, which the Railways and two major consumers, the power plants and the steel plants, are complaining of, is that unless the coal washeries are located near the coalfields, the Railways have to carry, in the name of coal, stones which is a costly proposition; and a large quantum of coal will be rejected by the consumers. Therefore, when she talked of establishing coal washeries in

response to the earlier question, may I know from the Minister, whether she has taken into confidence, specially, two major consumers—power plants and steel plants?

सुश्री उमा भारती : सर, यह उच्चतम सदन है। मैं माननीय प्रणब मुखर्जी के पहले प्रश्न का उत्तर दे रही हूं। इसमें मैंने स्वयं कहा है, क्योंकि व्यक्ति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। एक मिनिस्टर के नाते मेरी प्राययोरिटी में झरिया फायर का क्या निदान हो, यही है। मैं लगातार अपने डिपार्टमेंट को इस बात के लिए पूरे समय प्रेरित कर रही हूं कि आप जल्दी से जल्दी इसका निदान निकालिए। सब जन-प्रतिनिधियों को बुलाइये, कंसलटेटिव कमेटी के मेम्बर्स को बुलाइये, उनके सामने टोटल प्रस्ताव रखिए, उसमें उनकी सहमति लीजिए। उस प्रस्ताव के बाद तरीके से कोई एक रास्ता निकालिए। मैं माननीय प्रणब मुखर्जी को जोकि इस सदन के बहुत ही सीनियर सदस्य हैं, उनको मैं अपनी तरफ से यह बात कह रही हूं कि एक मिनिस्टर के नाते मेरी खुद की प्रायोरिटी में यह है कि झरिया फायर या अन्य जगह पर भी जहां फायर की प्राब्लम है, उसका निदान हम जल्दी से जल्दी निकालें। सर, इसके आगे मैं इस विषय पर कुछ कह नहीं पाऊंगी।

दूसरी बात वाशरी के बारे में कहनी है जो उन्होंने कही है और जो गड्ढे हो जाते हैं, उनको भरने की जो बात उन्होंने कही है। ये दोनों ही प्रश्न की परिधि से बिल्कुल बाहर थे, क्योंकि यह प्रश्न ही बिल्कुल अलग तरह का है। लेकिन फिर भी मैं वाशरी के बारे में ...(**व्यवधान**)...

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Who are you to decide? That is the Chair to decide whether this question comes within the purview of the main question. You are not to decide whether it is within the purview of the main question.

सुश्री उमा भारती : प्रणब दा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं ? मैं कह तो रही हूं कि यह प्रश्न की परिधि के बाहर है, चूंकि प्रणब दा ने पूछा है और पहले भी एक माननीय सदस्य पूछ चुके हैं, तो मैं जवाब दे रही हूं कि सीमेंट और स्टील प्लांट के लिए कोयला बहुत दूर तक जाता है, इसके बारे में मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल जी ने पहले ही सवाल पूछ लिया है कि ऐश कंटेंट के कारण जो पर्यावरण बिगड़ता है, जो दूर तक कोयला जाता है उसके कारण वाशरीज को लेकर के हम ... (**व्यवधान**) ...

SHRI PRANAB MUKHERJEE : These are two totally different issues, Madam, Minister. Ash content remains in the coal but in the name of coal, stones are carried on and, therefore, they are complaining why by physical verification those stones are not rejected. Ash content is quality property of the Indian coal. These are two completely different issues. I am talking of the

physical verification at the pit-head so that the Railways are not to carry stones in the name of coal. That is the point on which I wanted to draw your attention as content has nothing to do with it.

सुश्री उमा भारती : सर, मुझे वही रिपीट करना होगा कि स्टील और सीमेंट प्लांट के साथ में, पावर प्लांट वालों के साथ में भी हम बातचीत करके किसी निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं, बहुत जल्दी पहुंचेंगे कि वाशरीज के बारे में क्या निर्णय लिया जाए।

जहां तक हमारे मंत्रालय का सवाल है तो हम इस आइडिया के अपोज में नहीं हैं कि जहां पर भी कोल का उत्खनन होता है, वहीं पर वाशरीज लगाई जाएं। लेकिन इसके अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए हम पर्याप्त नहीं हैं। इसमें हमको स्टील, सीमेंट, पर्यावरण, वन, पावर सब के साथ में बैठकर के निर्णय करना होगा। जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो हम सदन की जानकारी में उस निष्कर्ष को लायेंगे।

New Power Tariff Policy

*125. DR. T. SUBBARAMI REDDY :†
SHRIMATI AMBIKA SONI :

Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether Government are considering a new power tariff policy;

(b) if so, whether Government have received comments from an independent credit rating agency and views of all stakeholders; and

(c) if so, by when will the new policy be announced and the new tariff likely to come inforce?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) Section 13(e) of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 envisages the formulation of a tariff policy by the Central Government on the aid and advice of the Central Electricity Regulatory Commission (CERC).

A Group was constituted under the Chairmanship of Special Secretary (Power) to prepare a concept paper on tariff policy. The Group submitted its report in May, 2002.

Since tariff policy is of vital importance for the smooth development of the power sector, it has been considered necessary to have consultations

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbramani Reddy.